

पत्रावली पेश दिनांक 15/7/24 पत्रावली पेश आदेश

पत्रावली पेश दिनांक 28/8/23

28/8/24  
वकील पेश हुई। वकील पत्रकार उप.। तलबी/जवाब/  
नातेजात/साक्ष्य/बहाल हेतु समय चाहा अतः पत्रावली  
प्राप्ते 8/8/24 दिनांक 30/10/24 को पेश हो।  
उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़

दिनांक 30-10-24  
पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो.  
किशनगढ़ डाक कार्या का स्थगन  
रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा.  
के समक्ष दि 14/12/24 को पेश हो।

120/11

11/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उद्योग उप.  
वकील पार्थी द्वारा निवेदन किया कि पार्थी  
पत्र सन् 2011 से लम्बित है तथा वह T.I.  
को और आगे नहीं चलना चाहते तथा  
श्रीमान से निवेदन है कि पत्रावली को इसी  
स्वरूप खारिज कर दिया जाये। हमारे  
द्वारा वकील पार्थी को सुना गया अतः वकील  
पार्थी के निवेदन पर पार्थी पत्र अन्तर्गत धारा  
212 श. क. क्र. 1955 को इसी स्वरूप खारिज  
किया जाता है। पत्रावली के तलब शुका छोटा  
नम्बर से भरा है।

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)